

MORMUGAO PORT AUTHORITY  
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Ref. No. GAD/PC-B/3(2)/2023/02502

Date: 15/09/2023.

**CIRCULAR**

Sub: Canvassing of non-official or other outside influence in service matters.

It has been brought to the notice of all employees vide Circular No. GAD/PC-B/3(2)/2022/751 dated 22.06.2022 that in terms of Regulation 17 of Mormugao Port Employees (Conduct) Regulations, 1964, no employee shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service under the Board.

2. In spite of the above, it has come to the notice of the Competent Authority that the employees, bypassing the established mechanism available for redressal of their grievance in Port, are bringing political or other influences to bear upon the superior authority to further their interest in respect of various service matters like transfer, promotion, disciplinary matters and any other grievances, etc.

3. In view of the above, all the employees are hereby informed that if they have any grievances relating to the service matters, they should follow the proper established mechanism available within the Port and should avoid bringing any political or other influences.

4. It may be noted that violation of above provisions of Mormugao Port Employees (Conduct) Regulations, 1964, will be viewed seriously and an appropriate disciplinary action will be taken against the concerned official/employees.

5. HODs are requested to give wide publicity to this Circular and ensure that the same is scrupulously followed by all the officers/employees.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(S. R. Mohan Kumar)  
SECRETARY

To,  
All HODs/MPA.

c.c. to: 1. Chairperson's table.  
2. Dy. Chairperson's table

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण

सामान्य प्रशासन विभाग

संदर्भ सं. जीएडी/पीसी-बी/3(2)/2023/02502

दिनांक: 15/09/2023

परिपत्र

**विषय: सेवा मामलों में गैर-सरकारी या अन्य बाहरी दबाव की अनुयाचना ।**

संदर्भ सं. जीएडी/पीसी-बी/3(2)/2022/751 दिनांक 22.06.2022 के तहत जारी परिपत्र के अनुसार यह सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया गया था कि मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के विनियम 17 के अनुसार, कोई भी कर्मचारी, मंडल में अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हित के लिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य दबाव डालने का प्रयास नहीं करेगा।


2. उपरोक्त के बावजूद, यह सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में आया है कि विभिन्न सेवा मामलों जैसे स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासनिक मामले और किसी अन्य शिकायत आदि के संबंध में, पत्तन में अपनी शिकायत के निवारण के लिए उपलब्ध संस्थापित कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए, कर्मचारी अपने हित के लिए वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य दबाव डाल रहे हैं।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी कर्मचारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें सेवा मामलों से संबंधित कोई शिकायत है, तो उन्हें पत्तन के भीतर उपलब्ध उचित संस्थापित कार्यप्रणाली का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक या अन्य दबाव डालने से बचना होगा।

4. यह नोट किया जाए कि मुरगांव पत्तन कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के उपरोक्त प्रावधानों का किसी भी पत्तन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को व्यापक रूप से परिचालित कर यह सुनिश्चित करें कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करते हैं ।

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(एस. पी. मोहन कुमार)  
सचिव

सेवा में,  
सभी विभागाध्यक्ष/एमपीए

प्रतिलिपि : 1. अध्यक्ष के पटल हेतु  
2. उपाध्यक्ष के पटल हेतु